क्र.	अपराध	कानून (भा.द.वि)	अधिकतम सजा (जेल)
1.	मारपीट	323	1 वर्ष
2.	गंभीर चोट पहुंचाना	325	7 वर्ष
3.	औरत की शालीनता भंग करने की हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
4.	पहली पत्नि के जीवित रहते दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष
5.	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित स्त्री पर क्रूरता	498	5 वर्ष
6.	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष
7.	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	304	10 वर्ष
8.	दहेज मृत्यु	304 (बी)	7 वर्ष से आजीवन जेल
9.	नाबालिक लड़की को अपने कब्जे में रखना	344-ए	10 वर्ष
10.	अपहरण, भागना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना	366	10 वर्ष
11.	बलात्कार	376	आजीवन, 10 वर्ष जेल
12.	वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना	496	2 वर्ष
13.	18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल अपराध है	धारा-3 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
14.	बाल विवाह से संबंध माता-पिता संरक्षक के लिए दण्ड	धारा-6 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
15.	दहेज लेने वे देने के लिए	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
16.	दहेज मांगने के लिए दण्ड	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
	छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधिनियम		
17.	यदि कोई व्यक्ति किसी की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है	धारा-4	3 वर्ष
18.	कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य द्वारा टोनही के रूप में पहचान व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है	धारा-5	5 वर्ष
19.	टोनही के रूप में पहचाने हुए व्यक्ति की झाड़फूंक टोटका तंत्र-मंत्र से उपचार करने का दावा करने पर	धारा-6	5 वर्ष
20.	टोनही होने का दावा करने पर	धारा-7	1 वर्ष

औरतों का है अधिकार, अब न सहेंगे अत्याचार !

महिला हिंसा

कई महिलाओं के साथ उनके पति अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की जाती है। किन्तु यह उनका पारिवारिक मामला है, सोचकर लोग अक्सर मदद के लिए आगे नहीं आते। परन्तु पति या परिवार वालों द्वारा महिला के साथ की जा रही शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना एक सामाजिक समस्या है एवं इसको रोकना भी समाज की जिम्मेदारी है।

मितानिन एवं समुदाय द्वारा पीड़ित महिला की मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए-

- पीड़ित महिला के पास जाकर उसकी बात सुनना चाहिए, उसको मदद का विश्वास दिलाना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि यह घरेलू मामला नहीं बल्कि सामाजिक मामला है।
- पति से भी बात करके उसे समझाना चाहिए।
- पंचायत और पारा की बैठक करके महिला को मदद करने और पति को समझाने की कोशिश करनी चाहिए।
- बार–बार ऐसी घटना होने पर पुलिस थाने और कानूनी मदद लेनी चाहिए।

महिला हिंसा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ?

लड़कियों को सिखाना -

- लड़कियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें उचित शिक्षा दें।
- उन्हें प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना चाहिए, साहसी बनाएं।

महिला को जो मारेगा, जेल की हवा खाएगा !

- 18 वर्ष से पहले उनकी शादी नहीं करें।
- खेलने–कूदने की आजादी देनी चाहिए।
- भरपूर भोजन देकर उनका शारीरिक पोषण ठीक करें।

लड़कों को सिखाना -

- जिस तरह से लड़कियों को एक अच्छी पत्नि और माता बनने के लिए समझाया जाता है। उसी तरह लड़कों को भी एक अच्छा पति और पिता बनने के लिए समझाना चाहिए।
- पिता कभी माता का अपमान न करें और न ही प्रताड़ित करें क्योंकि भवष्यि में लड़का भी उन्हीं आदतों को अपनायेगा।
- महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं।

घरेलू हिंसा पर रोक का कानून -

शासन द्वारा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण कानून 2005 बनाया गया है। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस कानून का सहारा लेकर घरेलू हिंसा से अपना बचाव कर सकती हैं।

इस कानून के तहत महिला को उपलब्ध राहत -

- गंभीर स्थिति में हिंसा करने वाले को घर से हटने का आदेश भी दे सकती है। इसका मतलब है कि पीड़ित महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि पुरूष को घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
- अगर मां चाहे तो बच्चों को मां के साथ रहने का आदेश मिल सकता है।

जाग गई भई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई !

शिकायत कहां करें - थाना, कोर्ट, अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी।

टोन्ही प्रताड़ना पर रोक का कानून -

छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं को टोन्ही बोलकर परेशान किया जाता है। किसी भी महिला को टोन्ही बोलना अथवा ऐसा बोलकर सताना अपराध है। अक्सर कमजोर और बेसहारा महिलाओं को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है। इस बुरी प्रथा का जोरदार विरोध करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टोन्ही प्रताड़ना विरूद्ध कड़ा कानून बनाया गया है। किसी महिला को टोन्ही आदि बोलने वाले और सताने वाले को पांच साल तक की कैद हो सकती है। इस प्रकार की घटना की शिकायत पुलिस थाने में की जा सकती है।

ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं पारा बैठक में निम्न बिन्दू पर चर्चा करें-

- ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं पारा बैठक में एम.टी. व मितानिन द्वारा महिला हिंसा एवं टोन्ही प्रताड़ना कानून के बारे में चर्चा करें।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं पारा बैठक में पूछें कि हमारे पारे में किसी महिला के साथ मारपीट या टोन्ही कहके प्रताड़ित तो नहीं हो रहे हैं। यदि कोई महिला प्रताड़ित हो रही है, तो उनके घर जाकर बातचीत करना चाहिए।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं पारा बैठक में महिला हिंसा संबंधित विडियो दिखाया जाना चाहिए।
- इन तरीकों से महिला हिंसा व टोन्ही प्रताड़ना रोकने का संदेश देंगे (पर्चा पढ़कर, नारा लेखन, नाटक दिखा कर)।
- हेल्प लाइन नम्बर 181 की मदद ले सकते हैं।

औरतों ने अब यह ठाना है, हिंसा मुक्त जीवन पाना है !